मा/ निग०/रीवा/2017/4777

(147)

विलोपित / विलोपित

समक्ष :- न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म० प्र०

Rs 30/-

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

रोहणी प्रसाद द्विवेदी तनय श्री रामनिहोर दुबे निवासी उमरी बीच पति

मउगंज तह० मउगंज जिला रीवा म० प्र० ------------ आवेदक

अधि० श्री अनिल तिवारी द्वारा पेश/30-11-17

बनाम०

1:- महेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय श्री रामगोपाल पाण्डेय एवं अन्य

------- अनावेदकगण

सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 अवधि अधि०।

मान्यवर,

आधार प्रार्थना पत्र निम्न है :-

\(1\) यह कि उपरोक्त उन्मान की निगरानी आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिसमे आवेदक को सफल होने की पूर्ण संभावना है ।

\(2\) यह कि आवेदक को प्रश्नाधीन नक्शा तर्मीम आदेश की जानकारी दिनांक 10-11-14 को हुयी थी जिसके तत्काल बाद आवेदक ने तहसीलदार तहसील मउगंज की न्यायालय मे आवेदन पत्र सुधार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे जाँच हेतु तहसीलदार मउगंज द्वारा राजस्व निरीक्षक को सौंपा गया था तथा जाच के संबंध मे जानकारी चलती रही किन्तु तहसीलदार तहसील मउगंज द्वारा दिनांक 29-9-17 को आदेश पारित कर आवेदक को यह निर्देशित किया गया कि पूर्व मे पारित नक्शा तरमीम के

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– II/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/4777 जिला–रीवा

रोहिणी प्रसाद द्विवेदी/ महेन्द्र कुमार पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री अनिल तिवारी उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील-मउगंज, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 39/अ-5/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। राजस्व निरीक्षक के द्वारा ग्राम उमरी की भूमि खसरा नं0 434/5 के अंश भाग की नक्शा तरमीम की गयी है। जिस कारण से आवेदक रोहिणी प्रसाद द्विवेदी अपने आप को पीड़ित मानता है। तहसीलदार, तहसील मउगंज, जिला रीवा के द्वारा अपनी आदेश पंजी में दिनांक 29.09.17 के द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि नक्शा तरमीम पर अपील सुनने का अधिकार उन्हे नहीं है। 4. म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959 के द्वारा धारा 107(5) के अनुसार नक्शा तरमीम के अधिकार सम्बन्धित कलेक्टर रीवा को है। 5. आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है, कि आवेदक अपना आवेदन कलेक्टर, जिला रीवा के समझ दिनांक 25.04.19 को प्रस्तुत करे। कलेक्टर रीवा उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।	
14/2/19		

(1)

P.T.O

मामला क्र0– II / निग0/रीवा/भू-रा0/2017/4777

रोहिणी प्रसाद द्विवेदी/ महेन्द्र कुमार पाण्डेय

6. **उभयपक्ष कलेक्टर**, जिला रीवा 25.04.19 के समक्ष उपस्थित हो। कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य

14/2/19